कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश : जिला नई दिल्ली

पटियाला हाउस न्यायालय, नई दिल्ली

परिपत्र

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला नई दिल्ली के निर्देशानुसार आप सभी को सहर्ष सूचित किया जाता है कि सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने , इसका प्रचार-प्रसार करने तथा अपना दैनिक सरकारी कामकाज राजभाषा हिन्दी में करने के प्रति कर्मचारियों में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय, दिल्ली के दिशा निर्देशों के अनुरूप जिला नई दिल्ली, पटियाला हाउस न्यायालय के सभी कर्मचारियों के लिए हिन्दी स्वरचित रचना प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

क्रम सं.	दिनांक	प्रतियोगिता का नाम	समय	स्थान
1.	24 सितंबर 2024	स्वरचित रचना प्रतियोगिता (कविता, कहानी, लेख, यात्रा वृत्तांत आदि)	स्वरचित रचनाएँ दिनांक 24 सितंबर 2024, अपराह्न 01:00 बजे तक ही प्राप्त की जाएँगी।	राजभाषा हिन्दी अनुभाग
ध्यान दें- विस्तृत जानकारी हेतु इस परिपत्र के साथ संलग्न नियमावली को ध्यानपूर्वक पढ़ें।				

इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए इच्छुक कर्मचारी अपनी रचनाएँ बंद लिफाफे में निर्धारित प्रपत्र के साथ राजभाषा हिन्दी अनुभाग, जिला नई दिल्ली में दिनांक 24 सितंबर 2024, अपराह्न 01:00 बजे तक भेजें। उपर्युक्त प्रतियोगिता के परिणामों की जानकारी 27 सितंबर 2024 को शाम 04:00 बजे दी जाएगी तथा प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतियोगियों को नियमानुसार पारितोषिक प्रदान किया जाएगा।

(अनिमेश भास्कर मणि त्रिपाठी)
नोडल अधिकारी,
राजभाषा हिन्दी अनुभाग, जिला नई दिल्ली,
पटियाला हाउस न्यायालय, नई दिल्ली

संख्या 26648-26727/हिन्दी/नई दिल्ली जिला/2024

नई दिल्ली, दिनांक 20/9/24

सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु परिपत्रों एवं संलग्नकों की प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है–

1. श्री सत्यब्रता पंडा, मा०अध्यक्ष, हिन्दी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायाधीश–04, जिला नई दिल्ली।
2. सुश्री किरन गुप्ता, मा०प्रभारी अधिकारी, राजभाषा हिन्दी अनुभाग, अति० सत्र न्यायाधीश–04, जिला नई दिल्ली।
3. सुश्री स्याति गुप्ता, मा० लिंक–नोडल अधिकारी, राजभाषा हिन्दी अनुभाग, न्यायाधीश लघुवाद न्यायालय–सह–अति. वरिष्ठ दीवानी न्यायाधीश–सह–संरक्षता न्यायाधीश, जिला नई दिल्ली।
4. समस्त माननीय न्यायिक अधिकारीगण, जिला नई दिल्ली ।
5. आहरण एवं संवितरण अधिकारी/लेखा अधिकारी, लेखा शाखा, जिला नई दिल्ली।
6. निजि सचिव, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला नई दिल्ली।
7. सनस्त शाखा प्रभारी, जिला नई दिल्ली।
8. संबंधित कर्मचारी, प्राप्ति एवं निर्गम शाखा, जिला नई दिल्ली, इस निर्देश के साथ कि इसे जिला न्यायालय की वेबसाइट/लेयर्स पर अपलोड करें।

नोट:– उपरोक्त सभी माननीय न्यायिक अधिकारीगण तथा गैर–न्यायिक अधिकारीगण इस परिपत्र से अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को अवश्य अवगत करवाएँ तथा उपर्युक्त प्रतियोगिता हेतु इच्छुक कर्मचारी भरे गए निर्धारित प्रपत्र अग्रसारित करके राजभाषा हिन्दी अनुभाग, जिला नई दिल्ली को भेजें

नोडल अधिकारी

राजभाषा हिन्दी अनुभाग, जिला नई दिल्ली,

पटियाला हाउस न्यायालय, नई दिल्ली।

राजभाषा हिन्दी अनुभाग

जिला नई दिल्ली, पटियाला हाउस न्यायालय, नई दिल्ली

जिला न्यायालय, नई दिल्ली जिला, पटियाला हाउस न्यायालय में आयोजित होनेवाली<u>स्वरचित रचना प्रतियोगिता (कविता, कहानी, लेख, यात्रा वृत्तांत आदि) 2024</u> में शामिल होने के लिए निर्धारित प्रपत्र:–

(नोट: इस प्रपत्र के सभी कॉलम अवश्य भरें, किसी भी कॉलम को रिक्त न छोड़ें)

प्रतियोगिता का नाम --

1. कर्मचारी का नाम– --
2. पिता/पति का नाम– --
3. पदनाम – --
4. कर्मचारी कूट संख्या – --
5. वर्तमान तैनाती स्थल – --
   ----
6. ई–मेल पता – --
7. मोबाइल नम्बर – --

अग्रसारित (कर्मचारी के हस्ताक्षर)

(अग्रेषण अधिकारी के हस्ताक्षर मोहर सहित)

जिला नई दिल्ली, पटियाला हाउस न्यायालय, नई दिल्ली में आयोजित की जाने वाली स्वरचित रचना प्रतियोगिताका स्वरूप व नियमावली–2024 :–

1. इस प्रतियोगिता में जिला नई दिल्ली, पटियाला हाउस न्यायालय में तैनात सभी कर्मचारीगण भाग ले सकते हैं।

2. यह प्रतियोगिता निःशुल्क है।

3. इस प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक कर्मचारियों को अपने नाम नोडल अधिकारी, राजभाषा हिन्दी अनुभाग, जिला नई दिल्ली को उचित माध्यम से भेजने होंगे और कर्मचारी प्रतियोगिता के लिए बनाए गए निम्नलिखित नियमों का पालन करते हुए उसमें भाग ले सकते हैं:–

   i. कर्मचारी अपनी स्वरचित रचना निर्धारित तारीख तक बंद लिफाफे में नोडल अधिकारी, राजभाषा हिन्दी अनुभाग, जिला नई दिल्ली को भेजेंगे।

   ii. स्वरचित रचना के साथ कर्मचारी द्वारा यह प्रमाणित करते हुए प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना चाहिए कि यह रचना उसकी स्वरचित है जो कहीं भी प्रकाशित नहीं हुई है तथा उस रचना के लिए उसने कहीं से कोई पुरस्कार प्राप्त नहीं किया है। इस प्रमाण–पत्र के बिना रचना स्वीकार नहीं की जाएगी।

   iii. स्वरचित रचना किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाली नहीं होनी चाहिए व राष्ट्रविरोधी व सरकार के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए।

4. प्रतियोगिता के लिए नकद पुरस्कारों का विवरण निम्नलिखित है:–

प्रथम पुरस्कार (एक)	4000/– रुपये
द्वितीय पुरस्कार (एक)	3000/– रुपये
तृतीय पुरस्कार (एक)	2000/– रुपये
प्रोत्साहन पुरस्कार (पाँच)	800/– रुपये

5. उपर्युक्त हिन्दी प्रतियोगिता का आयोजन करवाने से लेकर पुरस्कार वितरण आदि तक की समस्त कार्यवाही अधोहस्ताक्षरी के नियंत्रण व देख–रेख में राजभाषा हिन्दी अनुभाग, जिला नई दिल्ली द्वारा की जाएगी।

6. इन प्रतियोगिताओं से संबंधित किसी भी बदलाव, विवाद, शिकायत या इसके नियमों के निर्वहन आदि के बारे में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला नई दिल्ली का निर्णय ही अंतिम होगा।

नोडल अधिकारी
राजभाषा हिन्दी अनुभाग, नई दिल्ली जिला,
पटियाला हाउस न्यायालय, नई दिल्ली।